(a) whether students from the state of Jammu and Kashmir are given reservations in the professional colleges outside Jammu and Kashmir in view of the disturbed conditions; and

(b) if not, whether Government will consider providing atleast a small percentage of seats in all professional colleges in the country for Jammu and Kashmir students?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) Jammu and Kashmir has a Regional Engineering College and a Government Degree Engineering College has started functioning at Jammu since last year. In view of the disturbed conditions in Jammu and Kashmir, the Jammu and Kashmir Government has been permitted since October, 1990 to run Camp Classes of Regional Engineering College, Srinagar at Jammu. Besides, from out of the seats available with the Central Government in institutions of various States, 4 seats at Degree Level and 6 seats at Diploma Level have been allocated to Jammu & Kashmir Government for making nominations. The Central Universities have been requested by Department of Education to extend the following concessions to Kashmiri Migrant Students:

i) Extension in date of admission;

ii) relaxation in out-off percentage;

iii) increase in intake capacity to accommodate Kashmiri Migrant students; and

iv) allowing migrations to 2nd and 3rd year of under-graduate course.

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किए गए आवासों के संबंध में शिकायतें

2556. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किये गये मकान इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में सांसदों से प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में इन शिकायतों के आधार पर राज्य-वार कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) आवास राज्य विषय होने के नाते 20 सूत्री कार्यक्रम की मद सं. 14 (घ) के तहत उब्ल्यू एस आवास मद सं. 14

(ङ) के तहत एल आई जी आवास की स्कीमें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने योजना संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार इन स्कीमों के लिये केवल वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण तथा केवल राज्य स्तर पर निगरानी करती है।

(ख) हमारे रिकार्ड के अनुसार इस बाबत किसी माननीय संसद सदस्य से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जामा मस्जिद से बेदखल किए गए फेरी लगाने वालों को स्थानों का आवंटन

2557. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 27 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4325 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान जामा मस्जिद, दिल्ली के क्षेत्र से बेदखल किये गये फुटपाथ पर फेरी लगाने वाले 333 व्यक्तियों को कुछ स्थान उपलब्ध करा कर पुनर्वासित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन फेरी वालों को अपना कारोबार चलाने के लिये अब तक स्थान उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें उक्त स्थान कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जामा मस्जिद इलाके से वर्ष 1975-76 के दौरान बेदखल किए गए पटरी खोमचे वालों को अन्यत्र बनी हुई दुकानों के आवंटन देने की पात्रता बाबत निर्णय लेने के

लिये एक समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा पात्रता सूची तैयार किये जाने के बाद ही वास्तविक आवंटन किए जाएंगे।

Meeting of Indian Rice Development Council

2558. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a meeting of the Indian Rice Development Council was held recently at Hyderabad;

(b) if so, whether the Government of Andhra Pradesh had submitted a representation that small rice farmers do not benefit from the minimum support price for rice;

(c) the manner in which Government propose to assist small and marginal rice farmers who have very little marketable surplus;

(d) whether any scheme of financial assistance is being worked out for them; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The State Government of Andhra Pradesh had not submitted any representation to the Ministry of Agriculture, Government of India in this regard.

(c) The resource poor small and marginal farmers of Andhra Pradesh are provided assistance through outgoing Centrally Sponsored Integrated Cereals Development Programme in ricebased cropping systems areas (ICDP-Rice) and the Central Sector Rice Minikit Programme. Under the former, incentives are provided to the farmers on certified seeds, farm implements and sprinkler irrigation sets. Besides, field demonstrations and farmers trainings are also organised. Paddy seed of new high-yielding varieties are distributed under the latter scheme.

(d) and (e) There is no such proposal so far.

फलों और सब्जियों की ढुलाई में कठिनाइयां

2559. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में फलों और सब्जियों का वार्षिक उत्पादन लगभग 80 हजार मीट्रिक टन हो गया है और इन्हें मंडियों तक पहुंचाने में उत्पादकों और कृषकों को काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फल और सब्जियां शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ होने के कारण इन्हें समय रहते मंडियों में पहुंचाना आवश्यक होता है;

(ग) क्या सरकार फल और सब्जियों की ढुलाई को एक आवश्यक सेवा घोषित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) देश में फलों और सब्जियों का कुल उत्पादन एक लाख से अधिक हो गया है। तथापि उत्पादन के व्यवस्ततम मौसम को छोड़कर उत्पादन को मंडी तक लाने में कोई खास समस्या नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परिवहन संबंधी समस्याओं का समाधान काफी हद तक फसल कटाई के पश्चात देख रेख तथा विपणन संबंधी अवस्थापना का सृजन करके किया जा सकता है ताकि किसी खास समय में मंडी में फलों तथा सब्जियों की भरमार को रोका जा सके तथा परिवहन प्रणाली पर पड़ने वाले अत्यधिक भार से बचा जा सके। इसके लिए, भारत सरकार ने, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसके तहत कटाई उपरान्त की देख-रेख जैसे पूर्व प्रशीतन एकक, शीत भण्डागार आदि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उदार तरीके से सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि मंडी में की जाने वाली आपूर्ति को विनियंत्रित किया जा सके तथा उपभोक्ताओं को उत्पादन उपलब्ध हो सके।

दूध की आपूर्ति

2560. **श्री रामजीलाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में दूध की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को दूध की सुचारु आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है;